

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठांसीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 69/2022
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2022/200

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार पाली		श्री चम्पालाल पुत्र मोहन कौम हरिजन सा. डेण्डा

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,
1973 के नियम 17(4)

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना

—: निर्णय :-

दिनांक :- 21.10.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1973 के नियम 17(4)के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/11 रकबा 05 बीघा भूमि का आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।



प्रकरण के संबंध में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/3 रकबा 91 बीघा 3 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि उप जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक/पी.ए./98/740/ दिनांक 16.05.1998 की पालना में आवंटित हुई व नामान्तरकरण संख्या 1830 दिनांक 18.05.1998 स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी वर्तमान में भी गैर खातेदार दर्ज है। वर्तमान में अप्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा काशत नहीं है। मूल असेसी खातेदार परबतसिंह द्वारा उप जिला कलेक्टर पाली के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर पाली में अपील पेश की गई जो आदेश दिनांक 30.03.2002 द्वारा खारिज की गई। खातेदार परबतसिंह द्वारा उप जिला कलेक्टर पाली व जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जो स्वीकार की जाकर उक्त दोनों आदेशों को खारिज किया गया। सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो खारिज की गई एवं उक्त रिट याचिका निर्णय के विरुद्ध राजस्व (ग्रुप-7) विभाग के पत्रांक प. 3(342) राज-7/2017 जयपुर दिनांक 06.08.2019 द्वारा अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः अब उक्त अधिगृहित भूमि सीलिंग अधिशेष नहीं रह जाने, जैर आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काशत नहीं होने एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की

जिला कलेक्टर, पाली

पालना किये जाने हेतु जैर प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/11 रकबा 05 बीघा के आवंटन को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सरकारी पैरोकार की बहस का खण्डन व प्रस्तुतशुदा जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी को प्रश्नगत आवंटन की जानकारी उक्त आवंटन आदेश की जानकारी अच्छी तरह से थी, अतः लम्बे अन्तराल के बाद पेश प्रार्थना-पत्र मियाद की दृष्टि से विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। कथित मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई जो गलत एवं विधि विरुद्ध है। नियम 1973 के नियमों के अनुसार वक्त आवंटन आवंटित कृषि भूमि का कब्जा आवंटी को दिलाये जाने का दायित्व तहसीलदार पर डाली गई है और अगर तहसीलदार द्वारा आवंटी को कब्जा नहीं दिया जाता है तो वह इस आधार पर आवंटन निरस्त करने का अधिकार नहीं रखता। अतः आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को चुनौती देने से प्रार्थी विधिक रूप से मेजवचचमक है। जैर आराजी के संबंध में यदि सिलिंग अधिशेष का आदेश निरस्त हो गया है तो उसे इस संबंध में धारा 144 सी.पी.सी के तहत मूल असेसी को दर्ज करवाये जाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। अतः प्रार्थी का जैर प्रार्थना-पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने मियाद बाहर होने और प्रार्थी का locus standi नहीं होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में समायतशुदा बहस व पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया कि यह प्रकरण सीलिंग अधिशेष भूमि के आवंटन को निरस्त करवाये जाने हेतु तहसीलदार पाली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैर आवंटन निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार पाली द्वारा जो प्रमुख आधार लिए गए हैं यह है कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अब यह भूमि सीलिंग अधिशेष भूमि ही नहीं रही है। अतः जैर आवंटन को यथावत रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटी का भूमि पर कब्जा नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि आवंटन को 25 वर्ष गुजर चुके हैं तथा विलंब हेतु कोई उपयुक्त आधार नहीं दिया है। आवंटन के संदर्भ में नामान्तरकरण की स्वीकृति तहसीलदार द्वारा की गई है। अतः वह estopped है। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है। गैर खातेदारी में भूमि दर्ज है लेकिन गैर खातेदारी से खातेदारी दिये जाने का दायित्व तहसीलदार का है। मौका रिपोर्ट एकतरफा बनायी गयी है, काश्त करने की अवधि के प्रावधान संशोधित कर दिये गये हैं। यह भी खण्डन किया है कि यदि सीलिंग अधिशेष का आदेश निरस्त हो गया है तो उसे इस संबंध में धारा 144 सी.पी.सी के तहत मूल असेसी को दर्ज करवाये जाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारे द्वारा पत्रावली के रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो यह पाया कि यहां तहसीलदार पाली द्वारा कुल 09 प्रकरण संख्या 65/2022 लगायत 66/2022 व 68/2022 से 74/2022 तक एक ही प्रकृति के प्रकरण हैं जिसमें ग्राम डेण्डा के खसरा संख्या 1116/3 रकबा 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया जाकर वर्ष 1998 में विभिन्न काश्तकारों को आवंटित हुई थी जो अभी भी गैर खातेदारी में दर्ज है। समस्त पत्रावलियों में से पत्रावली संख्या 70/2022 में तहसीलदार पाली द्वारा समान प्रकृति के प्रकरण होने के कारण विभिन्न न्यायालयों के फैसले समग्र रूप से एक ही पत्रावली में प्रस्तुत किये हैं। उक्त पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या 41/2002 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2002 द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि खातेदार परबतसिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति राजपूत से 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो सिलिंग अधिशेष मानी जाकर अधिग्रहित की गयी है, वह विधि विरुद्ध है एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने इस निर्णय में उप जिला कलक्टर, पाली का निर्णय दिनांक 16.05.1998 एवं जिला कलक्टर, पाली का आदेश दिनांक



जिला कलेक्टर, पाली

30.03.2002 को निरस्त करते हुए उक्त परबतसिंह की 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो सीलिंग अधिशेष घोषित की गयी थी उसे ड्रॉप कर दिया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 17228/2018 दिनांक 29.11.2018 से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट आता है कि राजस्व (गुप-7) विभाग के पत्रांक प. 3(342) राज-7/2017 जयपुर दिनांक 06.08.2019 के अनुसार रिट याचिका संख्या 17228/2018 दिनांक 29.11.2018 के विरुद्ध आगे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्डपीठ के समक्ष अपील दायर नहीं किये जाने का निर्णय लेते हुए जिला कलेक्टर पाली को सूचित किया गया है अर्थात् प्रकरण मे यह स्पष्ट होता है कि विवादित 91 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो सीलिंग अधिशेष घोषित की जाकर अप्रार्थी को आवंटित की गयी थी वह भूमि अब सीलिंग अधिशेष भूमि नहीं रही है अर्थात् जब कोई भूमि सीलिंग अधिशेष भूमि ही नहीं रही तो उक्त भूमि का आवंटन किये जाने की विधिकता नहीं है तथा यदि आवंटन कर भी दिया गया है तो उक्त भूमि के सीलिंग अधिशेष नहीं रहने के कारण उक्त आवंटन का कोई विधिक अस्तित्व ही नहीं रहता। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की राज्य सरकार के अपील प्रस्तुत नहीं किये जाने के निर्णय के बाद उक्त आवंटन की किसी प्रकार से विधिकता शेष नहीं रहती एवं प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जे बाबत जो तथ्य अंकित किये है वह पर्चे मौके एवं संबंधित खसरा गिरदावरी से प्रथम-दृष्ट्या ही संदिग्ध प्रतीत होते है क्योंकि इतने लम्बे अरसे तक गैर खातेदारी से खातेदारी मिलने का कोई औचित्य नहीं है यह स्वयं ही दर्शित करता है कि अप्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। अप्रार्थी द्वारा अपने तकनीकी उज्रों को लेकर न्यायिक दृष्टान्त RRD April 2005 pg no 228 प्रस्तुत की है जिसमें खातेदारी दिये जाने एवं लम्बे अरसे के बाद खातेदारी बाद आवंटन निरस्त नहीं किये जाने के विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये है। इसी प्रकार की न्यायिक नजीर RRD 2001 page no 206 में लम्बे अरसे के बाद यदि आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अन्य न्यायिक नजीरे RRD 2004 page no 463, RRD 2003 page no 237, RRT 2011 page no 383 इन सभी नजीरों में आवंटन के लम्बे अरसे के बाद आवंटन निरस्त नहीं किये जाने के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है क्योंकि यहां जो भूमि आवंटन की गई है उसका विधिक स्वत्व ही आवंटनकर्ता सरकार के पक्ष में नहीं रहा है। अन्य न्यायिक नजीर RRT 2008 page no 797 प्रस्तुत की है जिसमें कब्जेधारी को अधिगृहित भूमि में वरीयता दिये जाने के सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, यह नजीर भी इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है क्योंकि यहां यह तथ्य लागू नहीं होता। एक अन्य न्यायिक नजीर RRT 2022-2023 page no 112 प्रस्तुत की है जिसमें भी भूमि काशत नहीं किये जाने के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किये जाने के तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा जो भी न्यायिक नजीर प्रस्तुत की गई है उसमें तकनीकी आधारों पर एवं लम्बे अरसे के बाद आवंटन निरस्त नहीं किये जाने एवं सिर्फ कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किये जाने के विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है। जैर प्रकरण में भूमि ही सीलिंग अधिशेष भूमि नहीं रही है तो इन न्यायिक नजीरो का इस प्रकरण से सुसंगतता/संबंध नहीं रहता। इस प्रकरण में अप्रार्थी के अन्य उज्र कि समयसीमा अत्यधिक है उसका भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में भूमि सीलिंग अधिशेष ही नहीं रही है तथा आवंटन निरस्तीकरण के लिए कोई विधिक सीमा निर्धारित नहीं है।



जिला कलेक्टर, पाली

उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी को इस संबंध में धारा 144 सी.पी.सी के तहत मूल असेसी को दर्ज करवाये जाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए, हम इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि अब भूमि के आवंटन के बाद उसे पुनः बिलानाम हुये बिना प्राधिकृत अधिकारी असेसी

खातेदार के नाम भूमि दर्ज नहीं कर सकता। अतएव माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के अनुसार जब भूमि सीलिंग अधिशेष ही नहीं रही है तो उक्त भूमि के आवंटन को बहाल रखे जाने का कोई औचित्य ही नहीं है क्योंकि सरकार के पास उक्त भूमि को आवंटन की अधिकारिता ही नहीं है। अतएव हम उक्त भूमि को पुनः विलानाम दर्ज किये जाने को विधि अनुसार कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः हम प्रकरण में तात्विक निर्णय करने के दृष्टिकोण से उक्त आवंटन को कदापि विधिक नहीं मान सकते। अतएव जैर आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित आवंटन को निरस्त कर भूमि को कब्जेराज लेकर विलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पाली एक माह में पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल.एन. मंत्री)

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली